



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 504) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

1/E 5 u0fo0@xBu&02@2021&941/uEfoE ,o vkEfoE— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सुपौल जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4290 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं०	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
01	नगर पंचायत सिमराही	सिमराही-118 धर्मपट्टी-121 पिपराही-120 दुर्गापुर-119 रामपुर-122	सिमराही एवं पिपराही (पूर्ण भाग)	उत्तर- फिंगलास-115 दक्षिण-सायत-124 एवं राघोपुर-126 पूरब-रामविशनपुर-117 एवं इमामगंज-134 पश्चिम-झिल्लाडुमरी-53	25671

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत सिमराही कहा जायेगा।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d;vkn'k l;
vjfoln dekj >kj
ljdkj d; l;Dr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 504-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>